

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ**

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

संख्या - 545/2025

राम कैलाश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुश्री साइमा खान, श्री अभिषेक कुमार दीक्षित,
श्री मोहम्मद इरफ़ान, श्री पंकज कुमार दीक्षित
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 28.5.2025 के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

- "1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 1-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. विपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करें।
3. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 412/2024, अंतर्गत धारा 406, 419, 420, 352, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा के संबंध में दाखिल किया गया है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप यह हैं कि वह एक बिजनेस करस्पोडेंस सेंटर चलाता है और उसने धोखाधड़ी से 2,00,000/- रुपये की राशि निकाल ली, जबकि आवेदक की पत्नी ने आवेदक को केवल 2,000/- रुपये निकालने के लिए कहा था।
5. यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपों का मिथ्यापन इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थापित सॉफ्टवेयर की शर्तों के अनुसार, 10,000/- रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाली जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक तैयार और इच्छुक है और अन्वेषण में सहयोग करने का वचन देता है जो अभी भी जारी है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस कथन के साथ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि सूचनादाता को वास्तव में खाते से 2,00,000/- रुपये की कटौती के संबंध में एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात् उसे आवेदक के छल-कपट के संबंध में जानकारी हुई। यद्यपि

यह स्वीकार किया जाता है कि अन्वेषण अभी भी जारी है लेकिन आवेदक इसमें सहयोग नहीं कर रहा है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अभी भी जारी है जिसमें आवेदक सहयोग करने का वचन देता है। स्थापित सॉफ्टवेयर 10,000/- रुपये से अधिक की राशि निकालने से रोकता है या नहीं, यह पहलू अन्वेषण में विचार किए जाने हेतु अपेक्षित विषय वस्तु होगी। अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, आवेदक को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता / 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित होगा।

8. इस वाद को 07.07.2025 को तामीली रिपोर्ट के साथ नए सिरे से सूचीबद्ध करें।

9. इस बीच आपत्तियां दाखिल की जानी हैं।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक को इस प्रावधान के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक-राम कैलाश को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी/थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) यह कि आरोपी-आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा;

- (ii) यह कि आरोपी-आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे; और
- (iii) यह कि आरोपी-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (iv) चूक की स्थिति में, अन्वेषण अभिकरण के लिए इस आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प खुला रहेगा।
10. आवेदक को दिनांक 02.06.2025 को अपराह्न 02:00 बजे अन्वेषण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक अन्वेषण में आवेदक के सहयोग के संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें दाखिल करने के पश्चात् आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसने अन्वेषण में विधिवत रूप से सहयोग किया है। वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

वाद के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना तथा आरोप की प्रकृति और साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, आवेदक ने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और साथ ही आवेदक द्वारा विचारण में सहयोग करने का जो वचन दिया गया है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 28.5.2025 के माध्यम से प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय के सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में पूर्ण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत के दौरान, यदि आवेदक कोई अपराध कारित करता है, तो अधीनस्थ न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

19 मार्च, 2026

श्रवण